परिशिष्ट – अ

इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप मैनेजर के दायित्व

निवेश प्रस्ताव को धरातल पर लाने के लिए यह आवश्यक है कि निवेशक को सभी प्रकार का प्रकियात्मक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। शासन की मंशा है कि निवेशक को विभिन्न अनुमतियों के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर न काटना पड़े तथा उसे सभी अनुमतियॉ निर्धारित समय–सीमा में मिल जाए। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इंवेस्टमेंट रिलेशनशिप मैनेजर को निम्न कार्यवाहियॉ करनी होगीः–

1. प्रत्येक निवेश प्रस्तावों को एक यूनिक आईडेंटिटी नंबर दिया गया है, निवेशक से पत्राचार करते समय उपरोक्त नंबर का संदर्भ अनिवार्यतः लिया जाए। यथा–संभव पत्राचार ई–मेल के माध्यम से किया जाए तथा उसकी प्रतिलिपि md@mptrifac.org को दी जाए।
2. इंवेस्टमेंट रिलेशनशिप मैनेजर 31 अक्टूबर के पूर्व प्रत्येक निवेशक को अनिवार्यतः ई–मेल के माध्यम से संपर्क कर अपनी नियुक्ति की सूचना तथा कांटेक्ट डीटेल्स दिए जाए। इंवेस्टर्स यदि कोई कंपनी हो तो इसी ई–मेल में उनसे अनुरोध किया जाए कि वे इस इंवेस्टमेंट प्रस्ताव के लिए एक इंवेस्टमेंट नोडल पर्सन नियुक्त करें।
3. इंवेस्टमेंट प्रस्ताव को धरातल पर लाने के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रस्ताव के संबंध में निम्न जानकारियॉ संकलित की जाए:–

अ– संक्षिप्त परियोजना प्रतिवेदन जिसमें परियोजना के लिए भूमि, जल तथा विद्युत की आवश्यकता, प्रस्तावित पूँजीनिवेश तथा उसकी चरणबद्धता, संभावित रोजगार, Feasibility Report तथा परियोजना के वित्तीय प्रबंध की व्यवस्था कच्चे माल/मार्केटिंग की व्यवस्था इत्यादि की जानकारी सम्मिलित हो।

ब– निवेशक के पूर्व अनुभव तथा मध्यप्रदेश व मध्यप्रदेश के बाहर वर्तमान व्यवसायों की संक्षिप्त जानकारी ।

स– परियोजना के लिए चयन किए गए अथवा प्रस्तावित संभावित स्थल तथा जिला।

द– परियोजना के लिए किस प्रकार की अनुमतियों की आवश्यकता होगी।

ड. राज्य शासन से अपेक्षित अन्य सहयोग ।

उचित होगा कि उपरोक्त सभी जानकारियां निवेशक को भेजे जाने वाले पहले ई–मेल में ही मांगी जाए जिससे उस पर समयीसीमा में कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

4. यदि निवेश प्रस्ताव राज्य शासन की किसी प्रचलित नीति से प्रशासित होता है तो निवेशक को उस नीति की साफ्ट कापी भी अनिवार्यतः भेजी जाए।

5. उद्योग आयुक्त ने शासकीय भूमि की उपलब्धता की जानकारी संकलित की है जो www.mpindustry.org पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान कम्बाईंड एप्लीकेशन फार्म में भूमि आवंटन का प्रावधान नहीं है और भूमि आवंटन उद्योग अथवा राजस्व विभाग के प्रचलित नियमों अनुसार किया जाना है तब भी यह उचित होगा कि उद्योग आयुक्त द्वारा प्रकाशित शासकीय भूमि की उपलब्धता की जानकारी निवेशक के संज्ञान में लाई जाए और उनके द्वारा चाहे जाने पर उद्योग आयुक्त के माध्यम से निवेशक को भूमि का स्थल निरीक्षण भी कराया जाए। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में निवेशक स्वयं निजी भूमि का क्रय भी कर सकता है।

6. इंवेस्टमेंट रिलेशनशिप मैनेजर का दायित्व होगा कि वह निवेशक को भूमि, जल, विद्युत कनेक्शन ई–एम पार्ट–1/IEM पर्यावरण अनुमति consent to establish, consent to operate, बायलर लायसेंस, भू उपयोग अनुमति, भवन निर्माण अनुमति, फैक्ट्री लायसेंस तथा विभिन्न श्रम कानूनों में सभी वांछित अनुमतियॉ निर्धारित समय–सीमा में दिलवाने में सहयोग करें।

7. ट्रायफेक द्वारा तैयार की गई वेबसाईट पर विभिन्न अनुमतियों के लिए कम्बाईंड एप्लीकेशन फार्म उपलब्ध कराया गया है। अतः प्रस्तावित निवेश के स्थल/जिले का चयन होते ही यह आवश्यक होगा कि निवेशक से कंबाईंड एप्लीकेशन फार्म भराया जाए।

8. किसी भी स्तर पर आने वाली चुनौतियों को विभागीय प्रमुख सचिव तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव के संज्ञान में लाये।